तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज	नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर
अपील संख्या– 106/2022 अंतर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट
(GCMS No. 2022/136)

अनवानः

1. रहमत वानो वेवा कमरूदीन जाति मुसलमान निवासी रेलवे स्टेशन के सामने, लूनकरणसर तहसील लूनकरणसर जिला बीकानेर।

बनाम

1. रहमत अली पुत्र कमरूदीन जाति मुसलमान निवासी रेलवे स्टेशन के सामने, लूनकरणसर तहसील लूनकरणसर जिला बीकानेर।
2. सिकन्दर पुत्र कमरूदीन जाति मुसलमान निवासी रेलवे स्टेशन के सामने, लूनकरणसर तहसील लूनकरणसर जिला बीकानेर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व लूनकरणसर।

15.10.2025

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषकगण उपस्थित। यह अपील तहसीलदार राजस्व लूनकरणसर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.04.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है। अभिभाषक रेस्पो. सं. 1, 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र पर बहस उभय पक्ष सुनी। अभिभाषक रेस्पो. ने प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए अवगत कराया कि तहसीलदार लूनकरणसर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.04.2018 पूर्ण प्रक्रिया कानून अनुसार अनुसरण कर अविवादित पारित किया गया है। इसलिये उक्त जैर अपील आदेश अविवादित होने से इस न्यायालय को अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार ही नहीं है। भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा–135(1) एवं भू–राजस्व अधिनियम की धारा 75(1)(डी) के तहत भू–अभिलेख नामान्तरण से संबंधित अविवादित मामलों में तहसीलदार द्वारा पारित किये गये मूल आदेश की प्रथम अपील भू–अभिलेख अधिकारी को की जाती है। इस संबंध में भू–अभिलेख अधिकारी को भू–राजस्व अधिनियम की धारा 75(1)(डी) में प्रदत अपील निर्णित करने की शक्तियां उपखण्ड अधिकारी को उनके क्षेत्राधिकार में प्रदत की गई है। इस आधार पर जैर आदेश अपील क्षेत्राधिकार में प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज फरमाई जावे।

अभिभाषक अपीलांट ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर अवगत कराया कि अपीलाधीन आदेश फर्जी दस्तावेजों के आधार पर प्रस्तुत होने से शून्य है। रेस्पोडेन्ट को नोटिस दिये बिना फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अपीलांट की जमीन हड़पने की नियत से यह नामान्तरण दर्ज करवाया है। आपतियों का सार्वजनिक प्रकाशन करवाने हेतु आम सूचना का प्रकाशन करवाया गया है। जहां सार्वजनिक आपतियों हेतु प्रकाशन दैनिक न्यूज पेपर में प्रकाशित हो जाता हैं तो अपीलाधीन नामांतरण आदेश की कार्यवाही अपने आप विधिक रूप से विवादित हो जाती है। यदि कोई विवाद होता ही नही तो यह सार्वजनिक आपतियों के प्रकाशन हेतु दैनिक अखबार में इस प्रकार का प्रकाशन करवाना आवश्यक नहीं होता है। इस प्रकार उक्त कार्यवाही में कोई विधि का तथ्य हैं जो विवादित है। इस हेतु उनका प्रकाशन आवश्यक है। सार्वजनिक सूचना में भी गलत प्रकाशन तहसीलदार लूनकरणसर द्वारा किया गया है, जिसमें पंजीकत दस्तावेज वसीयत का बताया गया हैं

संभागीय आयुक्त

किया गया है, जिसमें पंजीकृत दस्तावेज वसीयत का बताया गया है जबकि उक्त विवादित वसीयत पंजीकृत थी तथा वारिसान की जांच भी नहीं की गई। तथाकथित जांच भी फर्जी व मनगढ़ंत की गई है। रहमत अली द्वारा दिये गये शपथ पत्र में अपीलांट को वारिस बनाया गया है। उसके बावजूद भी पक्षकार नहीं बनाया गया है। इस कारण रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों व अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा उभय पक्ष द्वारा की गई प्रार्थना पत्र बहस पर मनन किया। अधीनस्थ कार्यालय तहसीलदार (राजस्व) ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.04.2018 पारित करते हुए वसीयत के आधार पर नामान्तरण दर्ज करने का आदेश प्रदान कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट आदेश जैर अपील में ना तो उपस्थित हुए और न ही अन्य कोई चाराजोही की। ऐसी स्थिति में अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 05.05.2025 अंतर्गत धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय आदेश की प्रमाणित प्रति प्रेषित होकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। आदेश सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर